Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 90/2015

Most. Shaili Devi & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा BLDR वाद सं0–139/2011–12 में दिनांक–14.11.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गोडियर, थाना सं0–246, खाता सं0–2579, खेसरा सं0–2030 एवं 06 अन्य खेसरा सहित कुल रकवा–7.00 एकड़ भूमि रामदेव महतो एवं उत्तरवादी तृतीय पक्ष के पिता किशुन दयाल महतो वगैरह के नाम जमाबंदी सं0–1509 दर्ज है। जिसमें शिवम महतो वगैरह के नाम सिकमी खाता सं0–1136 अंकित है। खानगी बँटवारे के तहत तफसियानामा के अनुरूप खतियानी रैयत रामदेव महतो वगैरह को एक भाग तथा दूसरा भाग शिवम महतो वगैरह को आपसी विक्रय संलेख सं0–3950 दिनांक–27.05.1968 से निश्चित चौहद्दी के साथ प्राप्त हुआ। रामदेव महतो, ब्रह्मदेव महतो तथा किशुनदेव महतो (उत्तरवादी तृतीय पक्ष के पिता) एवं लखन देव महतो तथा विशुनदेव महतो द्वारा विक्रय संलेख सं0–3347 दिनांक–02.07.1973 द्वारा संयुक्त रूप से रकवा–1.17 एकड़ भूमि अपीलार्थी सं0–01 के पति स्व0 रामविलास महतो के पास बिक्री की गई तद्नुरूप इनके नाम जमाबंदी सं0–2326 सृजित हुई। रामविलास महतो एवं उनके भाईयों रामौतार महतो एवं रामनारायण महतो के बीच उक्त भूमि खानगी बँटवारे में आधी–आधी प्राप्त हुई तथा उनके हिस्से में प्राप्त 58½ डी0 भूमि की जमाबंदी सं0–2910 दर्ज हुई जिसपर ये दखलकार रहते हुए भू–लगान भुगतान करते रहे जिसकी पूर्ण जानकारी उत्तरवादियों को भी थी। प्रश्नगत खाता–खेसरा से राम नारायण महतो को प्राप्त भूमि विक्रय संलेख सं0–4971 दिनांक–07.08.1999 द्वारा रकवा–58½ डी0 अपीलार्थी सं0–02 विजय महतो उर्फ भाष्कर कुमार को बिक्री की गई जिसपर दखलकार होते हुए नामांतरण वाद सं0–327/2005–06 द्वारा इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–7897 दर्ज हुई तथा ये भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। विजय कुमार द्वारा उक्त भूमि का LPC No. 699	

Web Copy Not Official.

		दिनांक–05.07.2013 प्राप्त करते हुए उसपर SBI शाखा, तेलडीहा से ऋण भी प्राप्त किये हैं। शिवधारी महतो की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवा कौशल्या देवी द्वारा विक्रय संलेख सं0–223 दिनांक–09.01.1990 द्वारा उक्त खाता के खेसरा क्रमशः	
	लगातार 26.10.2023	सं0–2930, रकवा–41 डी0 तथा खेसरा सं0–2031 से रकवा–21 डी0 भूमि पूरब से अपीलार्थी सं0–03 एवं 04 (वासुदेव महतो एवं अजब लाल महतो) को संयुक्त रूप से बिक्री करते हुए दखल प्रदान किया गया जिसकी जमाबंदी सं0–8527 इनके पक्ष में दर्ज है तथा अद्यतन भू–लगान भुगतान है। इसकी पूर्ण जानकारी बगलगीर भू–स्वामी एवं उत्तरवादी तृतीय पक्ष को भी है। उत्तरवादी तृतीय पक्ष द्वारा फर्जी तरीके से अंचल अधिकारी, रूपौली के समक्ष Rent Fixing & Mutation Case No. 02/2010 दायर किया गया जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई तथा दस्तावेजीय एवं भौतिक सत्यापन करते हुए इस निष्कर्ष के साथ कि आवेदकों का भूदान पर्चा के आधार पर दावा सही नहीं होने के आधार पर उक्त वाद खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी तृतीय पक्ष द्वारा उक्त नामांतरण के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया तथा तथ्यों को छुपाते हुए माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में दिये गये आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय में उक्त वाद संधारित करते हुए बिना स्थल जाँच तथा अंचल अधिकारी, रूपौली के प्रतिवेदन की अनदेखी करते हुए इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अंचल अधिकारी, रूपौली द्वारा नामांतरण वाद सं0–02/2010 में पारित आदेश तथा 30 वर्ष पुराना विक्रय संलेखों की वैधता को नजरअंदाज करते हुए विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी, रूपौली के उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा कभी भी कोई अपील दायर नहीं किया गया है जो विचारणीय है। उल्लेखीय है कि प्रश्नगत भूमि का R.S. खतियान रामदेव महतो वगैरह के नाम दर्ज है न कि महाराज दरभंगा के नाम अंकित है। महाराज दरभंगा द्वारा उक्त भूमि दान में देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि उत्तरवादी तृतीय पक्ष के पिता रामकिशुन दयाल स्वयं एवं अन्य उक्त भूमि के खतियानी रैयत हैं तो उसी भूमि का उन्हें भूदान पर्चा कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तरवादी के तथाकथित भूदान पर्चा में खाता–खेसरा एवं चौहद्दी का कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक–08.03.1958 को प्रकाशित पुनरीक्षित सर्वे खतियान की भूमि दिनांक–26.04.1958 को महाराज दरभंगा द्वारा भूदान में दिये जाने की बात तथ्यों से परे है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण विगत 30 वर्षों से शांतिपूर्ण दखलकार हैं जिस उत्तरवादी तृतीय पक्ष अथवा इनके पिता द्वारा कभी भी कोई आपत्ति नहीं उठायी गई और न ही इसे किसी न्यायालय में चुनौती देने का कोई साक्ष्य है। नामांतरण के पूर्व अंचल अमला द्वारा प्रश्नगत भूमि का भौतिक सत्यापन करते हुए इनके पक्ष में विधिवत्	

Web Copy, Not Official.

		जमाबंदी दर्ज की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो पोषणीय नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी तृतीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील पक्षकार दोषग्रसित, कालबाधित होने तथा तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में भू–दान यज्ञ समिति एवं खतियानी रैयत भगवान महतो के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्रमशः	
	लगातार 26.10.2023	बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–दान समिति को दिये गये दान की भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। प्रश्नगत भूमि संपुष्टि वाद सं0–3914/4204 दिनांक–17.11.1958 द्वारा इनके पिता किशुनदयाल महतो के नाम बंदोबस्त करते हुए पर्चा निर्गत है। अपीलार्थी या उनके पूर्वज द्वारा भू–दान संपुष्टि के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया है। खतियान की प्रविष्टि से किसी का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। ब्रहमदेव महतो एवं किशुनदेव महतो उत्तरवादी के परिवार के सदस्य नहीं हैं और ना ही खतियानी रैयत है। तफसियानामा संलेख सं0–3950 दिनांक–27.05.1968 जाली दस्तावेज है। रामदेव महतो वगैरह द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय संलेख सं0–3347 दिनांक–02.07.1973 द्वारा रामविलास महतो के पक्ष में निष्पादित किया जाना वैध नहीं है। खाता सं0–2579, खेसरा सं0–2030, रकवा–1.58 एकड़ भूमि पर उत्तरवादी के पिता भू–दानी रैयत हैं। अपीलार्थी के पक्ष में अंचल अमला को मेल लाकर नामांतरण कराया गया है। अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक–05.07.2013 को निर्गत भू–स्वामी प्रमाण पत्र अवैध है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि महाराज दरभंगा द्वारा वर्ष 1958 में भू–दान यज्ञ समिति को दान में दी गई जो उपरोक्त संपुष्टि वाद से संपुष्ट है। अपीलार्थी द्वारा उठाये गये सभी आधार एवं तथ्य विधि विरूद्ध है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि विक्रय संलेख से प्राप्त होने एवं उत्तरवादी द्वारा भूदान पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है प्रस्तुत विवाद भूदान की जमीन से संबंधित है जिसमें निजी पक्षकारों के साथ–साथ भूदान यज्ञ समिति एवं बिहार सरकार के पक्षों की सुनवाई अपरिहार्य रूप से किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को अधिनियम के निरूपित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के वादी द्वारा वाद दायर किये जाने के आलोक में भूदान यज्ञ समिति एवं बिहार सरकार सहित अन्य	

Web Copy, Not Official.

		संबंधित निजी सभी पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई करते हुए दो माह के अंदर विधिसम्मत् मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.